महिला सशक्तिकरण

लखन सिंह दांगी

सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग
शासकीय महाविद्यालय ढोढर
जिला श्योपुर (म.प्र.)

शोध सार:-महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य है महिलाओं को अपने लिए निर्णय लेने में सक्षम बनाने हेतु शक्तिशाली बनाना है। कई शताब्दियों पहले महिलाओं का अस्तित्व ना के बराबर था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया महिलाओं को अपने अस्तित्व और शक्ति का एहसास हुआ। तभी से लेकर आज तक महिलाओं के समाजिक उत्थान के लिए आंदोलन किये जा रहे है। पहले महिलाओं को निर्णय लेने की अनुमति या खुले आकाश में उड़ने के सपने देखने तक की आज़ादी नहीं थी। हमारे देश में पुरुष शासित समाज की परंपरा सदियों से चली आ रही है। वहां पर महिलाओं को हमेशा उनपर निर्भर रहना पड़ता था। इसी वजह से आज महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

महिलाएं को सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर कई अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। कई क्षेत्र में समान कार्य करने के बावजूद भी महिलाओं को पुरुषो के मुकाबले कम पैसे दिए जाते है। इस तरीके की भावना समाज में पुरुषो और महिलाओं के बीच असमानता की रेखा को खीचता है।

महिलाओं की उन्नति के आगे अनगिनत बाधाओं का कारण कहीं न कहीं सामाजिक जाने या अनजाने ज़िम्मेदार है। कई गांव में लड़कयों को आज भी पढ़ने तक की सुविधा नहीं दी जा रही है। भारत में महिलाओं का शैक्षिक दर पुरुषों की तुलना में कम है। इसके पीछे है रूढ़वादी समाज की सोच जो महिलाओं को आगे बढ़ने से पीछे रोकती है।

लेकिन आज भारत सरकार ने बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ जैसे कई मुहीम की शुरुआत की है ताकि लड़कियों की शिक्षा में कोई बाधा उतपन्न न हो। शहरी इलाको में महिलाएं ज़्यादा शिक्षित और रोजगार कर रही है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की अशिक्षा के कारण कृषि और अन्य क्षेत्रों में दैनिक मजदूरी करके जीवनयापन कर रही है। कई जगहों पर यह पाया गया है की योग्यता होने के बावजूद भी महिलाओं को पुरुषो की तुलना में कम आय दिया जाता है। जितना हक़ पुरुषो को दिया जाता है उतना हक़ महिलाओं को भी अवश्य दिया जाना चाहिए।

शब्द कुंजी:-सशक्तीकरण, क्रूरता,प्रतिषेध, प्रसूति,अपशिष्ट, स्वावलंबी,उज्जवला,मातृत्व, जेंडर बजट, जेंडर पार्क, तेजस्विनी इत्यादि।

महिला सशक्तिकरण से महिलाएं शक्तिशाली बनती है जिससे वह अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार, समाज और देश में अच्छे से रह सकती है। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना, जागरूक करना ही महिला सशक्तिकरण है ।महिलाओं में ऐसी ताकत है कि वह परिवार, समाज और देश में बहुत कुछ बदल सकती है। वह परिवार, समाज और देश में किसी भी समस्या को पुरुषों से बेहतर ढंग से निपट सकती है। किंतु समाज ही रूढ़िवादी सोच और पितृसत्तात्मक परिवारवाद के कारण महिलाओं के सशक्तिकरण में कई अवरोधक बने हुए हैं। विकास की मुख्यधारा में महिलाओं को लाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गई है। महिला सशक्तिकरण भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक आर्थिक ,राजनीतिक,सामाजिक सभी स्तरों पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है।

भारतीय अर्थशास्त्री एवं भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम ने वर्ष 2017-18 की आर्थिक समीक्षा में भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने महिला सशक्तिकरण को एक गंभीर चुनौती बताया।उन्होंने भारतीय समाज में अधिक पुत्रों की प्रबल चाहत को एक प्रमुख समस्या बताया है। साथ ही भारत में अधिक अधिक पुत्रों की चाहत में 2.1 करोड 'अवांछित बालिकाएं /महिलाएं 0 से 25 आयु वर्ग के अंतर्गत अनुमानित की गई है जो भारतीय समाज में लैंगिक भेदभाव का ही परिचायक है। डॉ. सुब्रमण्यम ने इस समस्या के समाधान के तौर पर महिलाओं को शिक्षा और उनकी आर्थिक क्षमता विकसित पर महिला सशक्तिकरण को एक महत्वपूर्ण माध्यम बताया है जिससे महिलाएं देश की आर्थिक गतिविधियों में सहभागी बन सके।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कहना है कि"महिलाएं पुरुषों के हाथ का खिलौना नहीं है और ना ही इनकी प्रतिद्वंदी है। महिलाओं एवं पुरुषों में आत्मा एक ही है और उनकी समस्याएं भी एक जैसी है। महिलाएं एवं पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं।"

स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि "जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होता तब तक विश्व के कल्याण की कोई संभावना नहीं है। पक्षी के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं है। महिलाओं को पहले शिक्षित करें और फिर उन्हें खुद पर छोड़ दो। फिर मैं आपको बताएगी कि उनके लिए कौन से सुधार जरूरी है महिलाओं को अपनी समस्याओं को अपने तरीके से हल करने की स्थिति में लाना चाहिए।"1

महिला सशक्तिकरण का आशय :-

महिला सशक्तिकरण का आशय उन सभी गतिविधियों से है जो महिलाओं को उनके दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने में सहायक होते हैं। यह महिलाओं को व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक एवं अन्य सभी प्रकार से स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर खुशहाल और आत्मसम्मान का जीवन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। या यूं कहें कि सशक्तिकरण महिलाओं को अपनी पसंद के अनुसार विकल्प चुनने में महत्वपूर्ण होते हैं।

वहीं दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र ने महिला सशक्तिकरण को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से परिभाषित किया है:-

1. महिला में स्वयं की अहमियत या महत्व की भावना विकसित करना।
2. महिलाओं के समक्ष विकल्पों की उपलब्धता के साथ-साथ विकल्प चुनने का अधिकार प्रदान करना।
3. अवसरों एवं संसाधनों तक पहुंच का अधिकार सुनिश्चित करना ।
4. घर के भीतर और बाहर दोनों जगह अपने स्वयं के जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति का अधिकार सुनिश्चित करना।
5. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक परिवर्तन की दिशा को प्रभावित करने की क्षमता का विकास करना जिससे कि बेहतर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

एशियन और पेसिफिक सेंटर फॉर वुमन एंड डेवलपमेंट द्वारा महिला सशक्तिकरण को परिभाषित करते हुए लिखा है कि "महिलाओं द्वारा स्वयं निर्णय लेने की दशाओं में वृद्धि ही सही मायने में महिला सशक्तिकरण है।"2

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता :-

चौथी औद्योगिक क्रांति के दौर में प्रौद्योगिकी एवं संचार सूचना तकनीक ने संचार सूचना तकनीक ने जहां एक और वैश्विक स्तर पर लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाकर उन्हें सशक्तिकरण की प्रक्रिया से जोड़कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं दूसरी ओर विगत दशकों के दौरान,सतत रूप से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी एवं सूचना संचार तकनीक ने महिलाओं के दैनिक जीवन में गुणवत्ता तो लाई है परंतु सुस्त रफ्तार से

भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की आवश्यकताओं को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है :-

1.महिलाओं में आत्मविश्वास विकसित करने के साथ-साथ उन्हें अपने और अपने से जुड़े लोगों के जीवन में गुणवत्ता लाने हेतु एवं महत्वपूर्ण निर्णय लेने हेतु आवश्यक हैं।

2. महिलाओं को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनके अधिकारों से सजग और सचेत कर गरिमामय जीवन यापन हेतु आवश्यक है।

3. महिलाओं के खिलाफ हो रहे विभिन्न प्रकार के अपराधों जैसे- हिंसा, यौन शोषण, दहेज प्रताड़ना एवं अन्य अपराधों को रोकने और पूर्णतः खत्म कर उन्हें गरिमापूर्ण और गुणवत्ता पूर्ण जीवन यापन हेतु आवश्यक है।

4. पुरुषों और महिलाओं के बीच जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भेदभाव और असमानताओं को खत्म करने हेतु सहायक है।

5. गरीबी और बेरोजगारी को हटाने, संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारियों से बचाव के साथ-साथ बेहतर लोक स्वास्थ्य हेतु महिलाओं को शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के माध्यम से उनमें क्षमता विकास करने में आवश्यक है।

6. आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित कर महिलाओं को विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयों, कुरीतियों और कुव्यवस्थाओं को समाप्त करने हेतु आवश्यक है।

7.गांवो से लेकर राष्ट्र तक सतत और समावेशी विकास के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है।

8. बेहतर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के साथ-साथ सामाजिक समरसता से लोगों में सामाजिक पूंजी विकसित करने में प्रोत्साहन में स्थान देने हेतु आवश्यक हैं।

9.ग्रामीण क्षेत्रों और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में सामाजिक उद्यमिता को प्रोत्साहन देने हेतु आवश्यक है।

प्रमुख चुनौतियां :-

आज जहां एक और तेज गति से बदलते सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं वैश्वीकरण के परिवेश में महिलाओं की भूमिका विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर ग्रामीण और आदिवासी बाहुल्य परिवेश में बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर आज वैश्वीकरण व संचार सूचना प्रौद्योगिकी वाले शिक्षित समाज में महिलाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के अत्याचारों को साफ तौर पर देखा जा सकता है।"हवस के कलयुगी पिता ने अपनी ही बेटी पर बुरी नीयत डाली।रेप के लिए जबरदस्ती की गयी।बेटी आधा घंटे इसका विरोध करती रही तो पिता आगबबूला हो गया औंर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।इसके बाद उसके शव से दुष्कर्म करता रहा।"3यहां तक कि केरल जैसे विकसित व सर्वाधिक शिक्षित राज्य

में भी महिलाओं के प्रति विभिन्न प्रकार के अपराधों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। जिसका उल्लेख केरल की लिंग समानता महिला सशक्तिकरण नीति2014- 20 में किया गया है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के प्रतिवेदन के अनुसार देश के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं से संबंधित अनेक प्रकार के अपराध देखे जा सकते हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में तो महिलाओं के प्रति होने वाले विभिन्न प्रकार के अपराध औंर अत्याचार कई कारणों से रिकॉर्ड भी नहीं हो पाते हैं तो फिर ऐसी दशा में महिला सशक्तिकरण की दिशा में धरातल पर पहल करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों औंर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के सतत विकास में महिलाओं के प्रति होने वाले ये अपराधिक घटनाएं विकास में अवरोधक का कार्य करती है।

राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार "देश भर में लगभग 30,884 महिलाओं खिलाफ अपराध की शिकायतें मिली इसमें 11, 013 सबसे अधिक सम्मान के साथ जीने के अधिकार से संबंधित थी इसके बाद घरेलू हिंसा से संबंधित 6,633 और दहेज उत्पीड़न से संबंधित 4,589 शिकायतें दर्ज की गई थी।4 "पूरे देश में सन् 2020 में बलात्कार के रोज औसतन 77 मामले दर्ज किए गए और कुल 28,046 मामले सामने आए देश में सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए।सन् 2020 में पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3,71,500 मामले दर्ज किए गए जो 2019 में 4,05,326 और 2018 में 3,78,236 थे।5

भारत में महिला सशक्तिकरण में बाधाएं:-

1.बलात्कार जैसी सामाजिक बुराइयां

2.पति एवं रिश्तेदार द्वारा क्रूरता

3.अपहरण की घटनाएं

4.कार्यस्थल पर महिलाओं का शोषण

5. महिलाओं का अपहरण

6.महिलाओं पर जानलेवा हमला एसिड अटैक इत्यादि

7.दहेज प्रताड़ना

8. अनैतिक महिला तस्करी

9.वेश्यावृत्ति करवाना

भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए प्रयास:-

स्वतंत्र भारत में महिलाओं की दशा में सुधार और उनके समाज में बेहतर बनाने की दिशा में अनेक प्रयास होते रहे हैं जो निम्नलिखित हैं:-

भारत में महिला सशक्तिकरण :-

"अनुच्छेद 14 -महिलाओं और पुरुषों को राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार व संरक्षण।

अनुच्छेद 15(1) -धर्म, नस्ल, जाति व लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव ना करना ।

अनुच्छेद 15(3)- सरकार महिलाओं के पक्ष में विशेष उपबंध बना सकेगी। अनुच्छेद 16-लोक नियोजन में अवसर की समानता ।

अनुच्छेद 19- विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ।

अनुच्छेद 21- प्राण और दैहिक स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 23- बलात् श्रम और दुर्व्यवहार की मनाही।

अनुच्छेद 24 -14 वर्ष से कम आयु के बालक और बालिकाओं के नियोजन की मनाही।

अनुच्छेद 39- समान रूप से जीविका, समान वेतन और गरिमामय वातावरण का निर्माण करना।

अनुच्छेद 40- समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देना, आर्थिक और या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह पाए इसलिए निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना।

अनुच्छेद 42- काम की न्याय संगत, मानवोचित दशाओं का निर्माण तथा प्रसूति काल में सहायता करना। अनुच्छेद 46- सरकार समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा करेगी एवं सभी तरह के अन्याय एवं शोषण से उनकी रक्षा करेगी।

अनुच्छेद 47- स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर में सुधार ।

अनुच्छेद 51 महिलाओं के सम्मान में के विरुद्ध जारी प्रथाओं का त्याग एवं समरसता और भाईचारे की भावनाओं का विकास।

अनुच्छेद 243 (घ)-पंचायतों में विभिन्न वर्गों की महिलाओं का एक तिहाई सीटों पर आरक्षण।

अनुच्छेद 243(न)- नगरी निकायों में कुल सीटों का एक तिहाई सीटों पर आरक्षण।

अनुच्छेद 325:- भेदभाव बिना निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने का अधिकार।"6

कानूनी प्रावधान:-

कानूनी प्रावधान के अंतर्गत महिलाओं के प्रति अपराध की रोकथाम के प्रावधान निहित है।यह प्रावधान दो तरह से हैं- दंड संहिता के अंतर्गत चिन्हित अपराध और दूसरा महिलाओं के हित में बनाए गए कानून है। महिलाओं के हित मे बने कानून इस तरह है- कारखाना अधिनियम 1948 ,कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, बागान श्रम अधिनियम 1951,ठेका श्रम अधिनियम 1976, कारखाना (संशोधित) अधिनियम 1986, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। यह अधिनियम महिलाओं को शारीरिक- मानसिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्त्रियों को कार्यस्थल पर अधिकार प्रदान करते हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, महिला और पुरुषों को समान कार्य करने का समान वेतन भुगतान प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, फिर 2005 में संशोधित (पुत्री को संपत्ति में जन्म से समान अधिकार) अनैतिक व्यापार (निवारण) 1956, प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961(1995 में संशोधन) दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, स्त्री अपशिष्ट रुपेण प्रतिषेध अधिनियम 1986, क्षति निवारण सती निवारण अधिनियम 1987, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 2013,मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार सरक्षंण)विधेयक 2019, आदि अधिकार महिलाओं के हितों को सुरक्षा प्रदान करते हैं।7

वैधानिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार अनेक सामाजिक-आर्थिक योजनाएं संचालित कर रही है, जिसके द्वारा महिलाओं को लाभान्वित किया जा सके। इसके साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग (1992) की स्थापना की गई है जो महिलाओं के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार की रक्षा करती है।

महिला तथा बाल विकास विभाग की स्थापना वर्ष 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक अंग के रूप में की गई थी। उद्देश्य महिला तथा बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना था। 30 जनवरी 2006 से इस विभाग को मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया है। इस मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य है महिला तथा बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना।

इस मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य है महिला तथा बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना था। महिला तथा बच्चों की उन्नति के लिए एक नोडल मंत्रालय के रूप में यह मंत्रालय योजना, नीतियां तथा कार्यक्रम का निर्माण करता है; कानून को लागू करता है, उसमें सुधार लाता है और महिला तथा बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाले सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों को दिशा-निर्देश देता है व उनके बीच तालमेल स्थापित करता है। इसके अलावा अपनी नोडल भूमिका निभाकर यह मंत्रालय महिला तथा बच्चों के लिए कुछ अनोखे कार्यक्रम चलाता है। ये कार्यक्रम कल्याण व सहायक सेवाओं, रोजगार के लिए प्रशिक्षण व आय सृजन एवं लैंगिक सुग्राहता को बढ़ावा देते हैं। ये कार्यक्रम स्वास्थ्य, शिक्षा व ग्रामीण विकास इत्यादि के अन्य क्षेत्रों में भी एक पूरक व संपूरक भूमिका निभाते हैं। ये सभी प्रयास यह सुनिश्चित किए जा रहे हैं कि महिला को आर्थिक व सामाजिक दोनों रूप से सशक्त बनाया जाए और इस प्रकार उन्हें पुरुष के साथ राष्ट्र विकास में बराबर की भागीदार बनाया जाए। इसके अलावा भारत में अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार से संबंधित दस्तावेजों में से महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने संबंधी अभिसमय, 1979 पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इन सभी प्रावधानों के प्रयासों के पीछे भारतीय समाज में महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने एवं सुरक्षा किए जाने का लक्ष्य निहित है।

महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण:-

स्त्री-पुरुष समानता लोकतंत्र की आवश्यक शर्त है, किंतु भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना में ऐसे मूल्य निहित है जो महिलाओं को दोयम दर्जे पर रखने के लिए वातावरण तैयार करते हैं। यही कारण है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और मानव अधिकार की पहल भी महिलाओं को शक्ति संपन्न बना पाने में सफल नहीं हो पा रही है। यहां तक कि राज्य में पुरुषों के वर्चस्व में है। प्रतिनिधि संस्थानों में महिलाएं अल्पमत में हैं। राजनीतिक सशक्तिकरण का संबंध सत्ता, शक्ति, अधिकार के प्रयोग अर्थात निर्णय लेने और निर्णय को प्रभावित करने की क्षमता के विकास से हैं। ऐसा तभी संभव है जब राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का स्तर उच्च हो।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई।'वर्तमान में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 12.1 प्रतिशत, राज्य सभा में 12.6 प्रतिशत, सर्वोच्च न्यायालय में मात्र 3.6 प्रतिशत तथा उच्च न्यायालय में 9.8 प्रतिशत हैं जो कि बहुत कम है।'8 सक्रिय, प्रत्यक्ष और चुनावी राजनीति मुख्यतः पुरुष प्रभुत्व का क्षेत्र रहा है। जिसमें महिलाओं की सहभागिता आनुपातिक रूप से सदैव बहुत कम रही है। राजनीति में महिला सहभागिता में अभिवृद्धि महिलाओं की प्रस्थिति में परिवर्तन और लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। सन 1974 में महिलाओं की परिस्थिति से संबंधित रिपोर्ट में सुझाया गया है कि महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। किंतु संसद एवं विधान मंडलों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक अभी भी अधिनियमित नहीं हो पाया है। यद्यपि 73 वें और 74 वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। संविधान की धारा 243 (डी) में शामिल प्रावधानों के अनुसार पंचायत राज्य के सभी स्तरों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जिसे 110 वां संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।बिहार, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,आन्ध्रप्रदेश, असम,छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु इत्यादि राज्यों पंचायत के सभी स्तरों पर महिलाओं को 50

प्रतिशत आरक्षण दिया गया। इसी प्रकार 112 वे संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय निकायों में भी महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण:-

भारत सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं। महिलाओं के लिए यह योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है। महिलाएं इन योजनाओं का लाभ लेकर अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर लेती है। इन योजनाओं के कारण महिलाएं केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बनती बल्कि, सभी क्षेत्रों में अच्छी तरह से कार्य करके सफलता प्राप्त करती है और अपने तथा अपने परिवार के जीवन को सुखद बनाती है। केंद्र सरकार द्वारा हर वर्ष महिलाओं के विकास के लिए नई -नई योजनाएं लागू करते हैं और महिलाएं इन योजनाओं के अनुसार कार्य करके अपने जीवन को खुशहाल बनाती हैं तथा इन योजनाओं की वजह से महिलाओं के जीवन में बहुत से बदलाव देखने को भी मिलते हैं। वर्तमान समय में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां महिलाओं ने अपनी भूमिका का प्रदर्शन ना किया हो, इसीलिए हमारे भारत देश में हर वर्ष 8 मार्च के दिन महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई है। जिसका मुख्य कार्य महिला सशक्तिकरण के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करना था जो कि सन् 2001 में बनी। इसका उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी व स्वनिर्भर बनाना है अर्थात उनकी शक्ति में वृद्धि करना है ताकि भी आत्मनिर्भर हो सकें। साथ ही सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक जगत की हलचलों से जोड़ना है ताकि सभी क्षेत्रों में महिलाएं आगे बढ़ सके। उन्हें सुविधाएं भी प्रदान करना इस राष्ट्रीय नीति का प्रमुख एक प्रमुख हिस्सा है।9

महिलाओं के लिए भारत सरकार की योजनाएं :-

भारत सरकार द्वारा हर वर्ष महिलाओं के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है जो कि निम्न है-

1.बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना:-

इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को किया था। इस योजना के माध्यम से देश की बेटियों के जीवन को उज्जवल बनाना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की बेटियों को उच्च शिक्षा प्रदान करना, पक्षपाती लिंग, बेटियों को शोषण से बचाना तथा सामाजिक एवं वित्तीय रूप से स्वतंत्रता प्रदान करना है। इसके साथ साथ इस योजना के तहत देश की बेटियों को सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है।

2. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना:-

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए 1 मई 2016 में इस योजना को प्रारंभ किया था। यह योजना पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली सबसे अच्छी योजना है। इस योजना की शुरुआत स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ हुई थी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के 50000000 परिवारों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा तथा इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना है। इस योजना को लागू करने से वनों की कटाई एवं वायु प्रदूषण को कम करने में भी सहायता प्राप्त होगी तथा महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी विकार में भी लाभ प्राप्त होगा।

3. सुकन्या समृद्धि योजना:-

इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22जनवरी 2015 में की थी। इस योजना के माध्यम से ऐसे माता-पिता जो अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए और उसकी शादी के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहते है वह लाभ ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत बैंक में खाता खुलवाने के लिए कम से कम 250 रुपये तथा अधिकतम राशि 1.5 लाख रुपए है। इस योजना में माता पिता को अपनी बेटी का खाता किसी राष्ट्रीय बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवाना होता है, इस खाते को बेटी के जन्म से 10 वर्ष के बीच खुलवा सकते हैं तथा इस योजना के तहत माता-पिता को बेटी के 14 वर्ष की उम्र होने तक राशि जमा करनी होती है और 18 वर्ष होने के पश्चात इस राशि का 50 प्रतिशत भाग निकाल सकते हैं और 21 वर्ष होने के पश्चात इस पूरी राशि को निकाल सकते हैं।

4. फ्री सिलाई मशीन योजना:-

इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों की उन महिलाओं को सहायता प्रदान करना है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना के माध्यम से सभी राज्यों की 50 हजार महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जाती है तथा इस योजना का लाभ केवल 20 से 40 वर्ष की महिलाएं ही ले सकती है और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकती है।

5. समर्थ योजना:-केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली इस योजना के द्वारा महिलाओं को अलग-अलग प्रकार के वस्त्र निर्माण एवं उनके कार्यों के बारे में सिखाया जाता है तथा इसमें 75 फ़ीसदी महिलाएं कार्य कर रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को वस्त्र उद्योग में आगे बढ़ाना है क्योंकि भविष्य में वस्त्र उद्योगों में वस्त्रों के निर्माण के लिए कामगारों की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है, इसलिए इस योजना का मुख्य फोकस महिला कामगारों पर ही है।

6. सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना:-इस योजना का प्रारंभ गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है। इस योजना के द्वारा गर्भवती महिलाओं के प्रसव के दौरान अस्पताल एवं प्रशिक्षित नर्स उपलब्ध की जाती है तथा गर्भवती महिला के प्रसव के 6 महीने पश्चात तक और बीमार नवजात शिशु को निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है और प्रसव के पश्चात होने वाले सभी प्रकार के खर्चे सरकार द्वारा ही उठाए जाते हैं। साथ ही बच्चे और मां को 6 महीने तक निशुल्क दवाइयां भी प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व की सुविधा प्रदान करना है।

7. पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन):-भारत सरकार द्वारा कुपोषण को दूर करने के लिए जीवनचक्र एप्रोच अपनाकर चरणबद्ध ढंग से पोषण अभियान चलाया जा रहा है ,भारत सरकार द्वारा 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती एवं धात्री माताओ के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में समयबद्ध तरीके से सुधार हेतु महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय पोषण मिशन का गठन किया गया है राष्ट्रीय पोषण मिशन अन्र्तगत कुपोषण को चरणबद्ध तरीके से दूर करने के लिए आगामी 03 वर्षो के लिए लक्ष्य निर्धारित किये गये है-

उद्देश्य एवं लक्ष्य :-

1. 0-6 वर्ष के बच्चों में ठिगनेपन से बचाव एवं इसमें कुल 6 प्रतिशत,प्रति वर्ष 2 प्रतिशत की दर से कमी लाना।
2. 0 से 6 वर्ष के बच्चों का अल्प पोषण से बचाव एवं इसमें कुल 6 प्रतिशत,प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत की दर से कमी लाना ।
3. 6 से 9 माह के बच्चों में एनीमिया के प्रसार में कुल 9 प्रतिशत,प्रतिवर्ष प्रतिशत की दर से कमी लाना ।
4. 15 से 49 वर्ष की किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री माताओं में एनीमिया के प्रसार में कुल 9 प्रतिशत,प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत की दर से कमी लाना ।
5. कम वजन के साथ जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या में कुल 6 प्रतिशत,प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत की दर से कमी लाना।

8.प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना:-

काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना और उनके उचित आराम और पोषण को सुनिश्चित करना। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से अधीन-पोषण के प्रभाव को कम करना।

योजना के लाभ :-इस योजना से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान फायदा होगा। योजना की लाभ राशि DBT के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेज दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार निम्नलिखित किश्तों में राशि का भुगतान करेगी।

पहली किस्त: 1000 रुपए गर्भावस्था के पंजीकरण के समय

दूसरी किस्त: 2000 रुपए,यदि लाभार्थी छह महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच कर लेते हैं ।

तीसरी किस्त: 2000 रुपए, जब बच्चे का जन्म पंजीकृत हो जाता है और बच्चे को BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस-B सहित पहले टीके का चक्र शुरू होता है ।

9.वन स्टॉप सेंटर(सखी):-वन स्टॉप सेंटर (सखी) के अंतर्गत सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, पुलिस-डेस्क, विधि सहायता, चिकित्सा एवं काउन्सलिंग की सुविधा वन स्टाॅप सेन्टर उषा किरण केन्द्रों में उपलब्ध करायी जायेगी।

उद्देश्य :एक ही छत के नीचे हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एकीकृत रूप से सहायता एवं सहयोग प्रदाय करना।

पीड़ित महिला एवं बालिका को तत्काल आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन सुविधायें उपलब्ध करना, जैसे-चिकित्सा, विधिक, मनौवैज्ञानिक परामर्श आदि।

लक्षित समूह:हिंसा से पीड़ित महिलायें, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु की बालिकायें भी सम्मिलित है, को सहायता प्रदाय करना। 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं की सहायता हेतु लैंगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अंतर्गत गठित संस्थाओं को सेन्टर से जोड़ना।

10. स्वाधार योजना:-स्वाधार भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लाभार्थ प्रायोजित योजना है जिसका प्रारंभ 2001-02 में किया गया था। इस योजना के अंतर्गत वेश्यावृत्ति, रिहा कैदी, प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी भी कारण से बेघर और बेसहारा पीड़ित महिलाओं को स्वाधार गृह लाया जाता है तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। यह परियोजना समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभागों, महिला विकास निगमों, शहरी निकायों के निजी, सार्वजनिक ट्रस्टों या स्वैच्छिक संगठनों आदि के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। पूर्वशर्त यह है कि उन्हें अलग-अलग परियोजनाओं के आधार पर इस तरह की महिलाओं के पुनर्वास का वांछित अनुभव और कौशल हो। योजना शत प्रतिशत केंद्र द्वारा प्रायोजित है।

11. राजीव गाँधी किशोरी सशक्तिकरण योजना(सबला): -इस योजना के तहत किशोरी 11-18 वर्ष की बालिकाओं को शारीरिक तथा मानसिक रूप से सबल बनाने के कार्यक्रम निर्धारित किये गये है।

इस योजना के तहत किशोरियों तथा युवा बालिकाओं को उनके उत्तम स्वास्थ हेतु उनके लम्बाई के अनुपात में वजन तथा हरमोन के बदलाव के कारण शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता की जानकारी देना है।किशोरावस्था के दौरान स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण तथा प्रजनन तंत्र और यौन स्वास्थ्य एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ की जानकारी देना। युवा बालिकाओं को परिवार तथा शिशु की देख-रेख सम्बन्धी जानकारी देना है।

युवा बालिकाओं के आत्मविकास और सशक्तिकरण हेतु उन्हें जागरूक करना।युवा और किशोरी बालिकाओं को गृह कौशल, व्यवसायिक कौशल का प्रशिक्षण देना, जिससे उनका जीवन बेहतर हो सके।युवा और किशोरी बालिकाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने हेतु उन्हें प्राइमरी हेल्थ केयर , चाइल्ड हेल्थ केयर , डाक घर , पुलिस चौकी तथा बैंक आदि के विषय में जानकारी देना है।

सबला योजना का लक्ष्यः-इस योजना के अंतर्गत 2011 में 202 जिले की 11-18 वर्ष तक की सभी किशोरी (एडोलसेंट) बालिकाओं को शामिल किया गया था।इसके बाद इस योजना के तहत बालिकाओं को आयु के आधार पर 11-14 वर्ष तथा 14-18 वर्ष के ग्रुप में विभाजित कर दिया गया। जिससे उनको आयु के आधार पर प्रसिक्षण दिया जा सके।

ज्यादातर स्कूल जाने वाली बालिकाएं हीं आंगनवाड़ी कार्यक्रम में भी शामिल होती है जहाँ उन्हें शिक्षा, पोषण तथा सामाजिक क़ानूनी मुद्दों की जानकारी प्राप्त होती हैं।इस योजना के तहत उन सभी किशोरी और युवा बालिकाओं पर भी ध्यान दिया जायेगा। जिन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया है तथा सरकार द्वारा संचालित किये गए आंगनवाड़ी कार्यक्रम में शामिल होती हैं।

12.इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना:-भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली विधवा महिला को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना संचालित की जा रही है ।योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्यातण विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

लाभार्थी:-आवेदिका की आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष होगी । आवेदिका को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए ।

13.इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना:-भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले निःशक्तजनों को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना संचालित की जा रही है ।योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

लाभार्थी:- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 79 वर्ष की होगी । आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए ।

लाभ:-निःशक्त हितग्राही को प्रतिमाह 300 रुपये की दर से पेंशन केन्द्रांश मद से प्रदाय की जा रही है।

14.महिला ई-हाट:-महिला ई-हाट महिला उद्यमियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सार्थक पहल है। यह महिलाओं के लिए एक ऑनलाइन विपणन मंच है जहां वे अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर सकते हैं । यह 'डिजिटल इंडिया' का हिस्सा है और 'स्टैंड अप इंडिया' के रूप में देश भर में महिलाओं के लिए एक पहल है। यह मंच महिलाओं के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला कोष के तहत (आरएमके) द्वारा स्थापित किया है। महिला उद्यमियों की सृजनात्मकता को निरंतर सहारा और सहायता प्रदान करके उनको सशक्त बनाना एवं अर्थव्यवस्था में उनकी वित्तीय भागीदारी को सुदृढ़ करना, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है ।

15.वर्किंग वीमेन हॉस्टल स्कीम:- 'वर्किंग वीमेन हॉस्टल स्कीम ' के द्वारा देश की सभी कामकाजी महिलाओ को सरकार की तरफ से रहने के हॉस्टल की सुविधा दी जाएगी। इस योजना के तहत महिलाओ को सुरक्षित आवास प्रदान करवाया जायेगा। इस योजना का मुख्य उदेश्ये महिलाओ को आवास व् सुरक्षा दोनों देना है।ताकि उनकी और उनके बच्चो की देखभाल की सुविधा एवं आवश्यकता की सभी सामग्री उन तक पहुंचे जा सके। ये योजना देश के सभी क्षेत्रों जैसे ग्रामीण ,शहरों एवं सभी अर्बन क्षेत्रों इत्यादि में उपलब्द्ध है। जहा महिलाये सुरक्षित रहकर रोजगार कर सकती है।

16.कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना:-भारत सरकार द्वारा 2004 में अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ किया गया था। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत प्रथम दो वर्ष तक एक अलग योजना के रूप में सर्व शिक्षा अभियान, बालिकाओं के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिलाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम व महिला समाख्या योजना के साथ सामंजस्य बैठाते हुए शुरू की गई थी, लेकिन 1 अप्रैल, 2007 से इसे सर्व शिक्षा अभियान में एक अलग घटक के रूप में विलय कर दिया दिया।

17.जेंडर बजट योजना:-जेंडर बजट मुख्य रूप से लैंगिक असमानताओं को दूर करने में मदद करता है । आधुनिक समाज में लैंगिक असमानता अभी भी दिखाई दे रही है और उद्यमिता के अवसरों, श्रम भागीदारी, पारिश्रमिक, शिक्षा, स्वास्थ्य परिणामों, शासन और शीर्ष प्रबंधन पदों पर

कर्मियों के प्रतिनिधित्व में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है। हालांकि ये असमानताएं पारंपरिक पहलुओं से जुड़ी हो सकती हैं, विशेष रूप से पुरुषों और महिलाओं की सांस्कृतिक भूमिकाओं पर, वे सार्वजनिक संसाधनों के आवंटन में असमानताओं को प्रदर्शित करती हैं। जेंडर बजटिंग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करके ऐसी असमानताओं को दूर करना है कि सार्वजनिक नीति को एक समावेशी तरीके से डिजाइन और वितरित किया जाता है जो महिलाओं को आर्थिक प्रगति में प्रमुख योगदानकर्ताओं के रूप में पहचानता है। जेंडर बजटिंग के लिए सार्वजनिक बजटों की ऑडिटिंग की आवश्यकता होती है ताकि प्रजनन की सामाजिक व्यवस्था में लिंग भेद को शामिल किया जा सके। सार्वजनिक बजट प्रमुख सामाजिक प्रजनन भूमिकाओं की उपेक्षा करते हैं जैसे कि घरेलू स्थानों, मानवीय संबंधों और निकायों का रखरखाव जो ज्यादातर महिलाओं द्वारा किया जाता है। जेंडर बजट का ऑडिट महिलाओं के सामाजिक पुनरुत्पादन के अवैतनिक कार्य और पूरे समाज की भलाई में इसके योगदान की कल्पना की अनुमति देता है।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं:-

1. लाड़ली लक्ष्मी योजनाः-बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में दिनाॅक 01अप्रैल 2007 से लाड़ली लक्ष्मी योजना लागू की गई ।

योजना का लाभ :जिनके माता-पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, आयकर दाता न हों । द्वितीय बालिका के प्रकरण में आवेदन करने से पूर्व माता या पिता ने परिवार नियोजन अपना लिया हो।प्रकरण स्वीकृति उपरांत बालिका के नाम से शासन की ओर से 1,18,000 रुपये का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

राशि का प्रदायः-योजनान्तर्गत बालिका के नाम से, पंजीकरण के समय से लगातार पांच वर्षों तक रूपये 6-6 हजार मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना निधि में जमा किये जाऐगें अर्थात कुल राशि रूपये 30000 बालिका के नाम से जमा किये जाऐगें। बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 2000 रुपये, कक्षा 9 वीं में प्रवेश लेने पर 4000 रुपये, कक्षा 11 वीं में प्रवेश लेने पर 6000 रुपये तथा 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 6000 रुपये ई-पेमेंट के माध्यम से किया जावेगा। अंतिम भुगतान रूपये 1 लाख रुपये बालिका की आयु 21 वर्ष होने पर तथा कक्षा 12 वीं परीक्षा में सम्मिलित होने पर भुगतान की जावेगी, किन्तु शर्त यह होगी कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु के पूर्व न हुआ हो।

2. लाडो अभियानः-मध्यप्रदेश देश में प्रथम राज्य है, जिसने बाल विवाह के रोकथाम हेतु 2013 में लाडो अभियान प्रारंभ किया गया । लाडो अभियान का मुख्य उद्देश्य -जनसमुदाय की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव के साथ बाल विवाह जैसी कुरीति को सामुदायिक सहभागिता से समाप्त करना है । अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला, खण्ड, स्कूल, ग्राम स्तरीय एंव सेवा प्रदाताओं की कार्यशाला का आयोजन कर उपस्थित प्रतिभागियों को अभियान के प्रति संवेदनशील बनाना है । साथ ही विभिन्न माध्यमों जैसे -सेवा प्रदाताओं के दुकानों एंव प्रमुख स्थानों पर दीवार लेखन, जागरूकता रेली , रथ यात्रा, शासकीय ,धार्मिक कार्यक्रमों में बाल विवाह न करने की शपथ, जिंगल, डाक्यूमेन्ट्री , नुक्कड नाटक, होर्डिंग एवं दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन के द्वारा प्रचार-प्रसार कर आमजन तक लाडो अभियान के संदेश को पहूचाने का प्रयास किया जाता है । यह अभियान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम -2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालकों के बाल विवाह कानून के प्रभावी क्रियान्वयन में महती भूमिका निभाता है ।

3. मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना :- (कौशल्या योजना):-कौशल्या योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त-पोषित योजना है जिसके अंतर्गत रोजगार उन्मुखी राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप महिलाओं हेतु कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन करना है|

योजना का उद्देश्य

क.रोजगार अथवा स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए महिलाओं को आवश्यक कौशल प्रदाय करना।

ख. गैर-परम्परागत क्षेत्रों में कौशल प्रदान कर महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना।

ग. महिलाओं के रोजगार अवसरों में वृद्धि करना।

घ. प्रशिक्षण उपरांत पारिश्रमिक स्तर में वृध्दि हासिल करना।

4.उषा किरण योजना :-उषा किरण योजना अंतर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 नियम 2006 के तहत् यानि ऐसा कार्य या हरकत जो किसी पीड़ित महिला एवं बच्चों (18 वर्ष से कम के बालक एवं बालिका) के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन को खतरा,संकट की स्थिति, आर्थिक नुकसान, क्षति जो असहनीय हो तथा जिससे महिला व बच्चे दुखी व अपमानित होते हो। इसके तहत् शारीरिक हिंसा, मौखिक व भावनात्मक हिंसा, लैगिक व आर्थिक हिंसा य धमकी देना आदि महिलाओं एवं विपेक्षी परिवारो को कार्यालय मे काउंसलिंग के लिये बुलाया जाता है एवं दोनो परिवारो को समझाइस दी जाती है एवं दोनो परिवारो को घरेलू विवाद और संबंधी समझौता कराया जाता है। यदि उक्त समझाइस देने पर भी समझौता नहीं हो पाता है तो उक्त षिकायतों को डी.आई.आर. भरने एवं न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए संबंधित परियोजना कार्यालय को प्रेषित किया जाता है।

5. मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना:-योजना के तहत विपत्तिग्रस्त, पीडित, कठिन परिस्थितियों मेे निवास कर रही महिलाओं के आर्थिक सामाजिक उन्नयन हेतु स्थायी प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा ताकि रोजगार प्राप्त कर सके। यह प्रशिक्षण ऐसी संस्थाओं के माध्यम से दिया जायेगा जिन संस्थाओं व्दारा जारी डिग्री प्रमाण पत्र शासकीय अशासकीय सेवाओं मे मान्य हो। प्रशिक्षण पर होने वाला पूर्ण व्यय जिसमें प्रशिक्षण शुल्क, आवासीय व्यवस्था शुल्क, भोजन एवं छात्रवृत्ति शामिल रहेगी। ऐसी महिलाओं का चयन जिला स्तर पर गठित समिति व्दारा किया जायेगा। योजना जिला स्तर से संचालित होगी। प्रत्येक जिला आवश्यकता का आंकलन कर भौतिक एवं वित्तीय वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करेगा। जिला योजना समिति के माध्यम से बजट प्रावधानित किया जायेगा। प्रशिक्षण राशि का भुगतान सीधे सेवा प्रदाता संस्था को होगा।

6. शौर्य दल: -मध्यप्रदेश सरकार सदैव महिलाओं व बच्चों से संबंधित मुददों पर संवेदनशील

रही है। महिलाओं के प्रति हिंसा एवं अपराधों को नियंत्रित करने की दृषिट से अनेको कानून और व्यवस्थाएं निर्मित है, व महिलाएं इसका उपयोग निडरता से कर सके इस हेतु कई कदम भी उठाएं गए है। परन्तु परिवार एवं समुदाय के असहयोगात्मक व्यवहार के कारण महिलाओं के विरूद्ध हिंसा व अपराध के प्रकरण थाने में दर्ज नही किए जाते है। जिससे महिला अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है। कई क्षेत्रों में सामाजिक कुरीति की व्यापकता होना भी महिला हिंसा का कारण बन जाती है। महिलाओ के प्रति असंवेदनशील होते समाज की स्थिति न केवल सामाजिक विघटन को बढावा दे रही है बल्कि विकास की मुख्यधारा में महिलाओं व बालिकाओं की आवश्यक व महत्वपूर्ण सहभागिता को भी प्रभावित कर रही है। महिलाओं व बालिकाओं के प्रति संवेदनशील वातावरण निर्मित करने के लिए व सही समय पर नियंत्रण से हिंसा की व्यापकता में कमी के लिए एक सामुदायिक पहल की आवश्यकता महसूस की गई। विचार मंथन के बाद सामाजिक चेतना की इस अभिनव पहल नें 'शौर्य दल' नाम से अपनी पहचान स्थापित की। शौर्या दल की विशेषता जमीन से जुडा उसका हर सदस्य है जो महिला हिंसा, अत्याचार, उत्पीडन,यौन शोषण के विरूद्ध अपनी जिम्मेदारी महसूस करता है, बिना लालच बिना स्वार्थ के।

7.सशक्त वाहिनी योजना:-सशक्त वाहिनी योजना के तहत बालिकाओं व युवतियों को पुलिस विभाग में भर्ती होने प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही महिलाओं के लिए चलाई जा रही शासन की कई कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। वहीं महिलाओं को सुरक्षा प्रहरी बनाने के लिए पुलिस विभाग में 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित किया गया है। इससे कि समाज में महिलाओं व युवतियों के प्रति सुरक्षा का भावनात्मक माहौल तैयार किया जा सकें।

8.मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना: -

मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के अंतर्गत दीनदयाल अन्त्योदय मिशन प्रदेश के निःशक्त, निर्धन और कमजोर परिवारों की सहायता के लिये आम लोगों की भावना और उनकी भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुये स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत निराश्रित, निर्धन कन्या,विधवा,परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना तैयार कर वर्ष 2006 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के नाम से प्रारम्भ की गई है |

इस योजना के तहत 28,000 हजार रुपये दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

9.प्रसूति सहायता योजना:- मध्य प्रदेश की आर्थिक रूप से कमज़ोर और श्रमिक वर्ग की गर्भवती महिलाओ को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2018 में शुरू की गयी है । इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले मजदुर परिवार की गर्भवती महिलाओ को गर्भावस्था के दौरान आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए और अच्छे से जीवन यापन करने के लिए सरकार द्वारा 16000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं।

10.गांव की बेटी योजना: -

मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गांव की बेटी योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति 500 रुपये प्रति माह की दर से 10 माह तक प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है। गांव की वह प्रत्येक बालिका जिसने 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है उनको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए छात्रा को किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीकरण करके इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए छात्रों को अपनी समग्र आईडी दर्ज करने अनिवार्य है।

11.स्वयं सहायता समूह :- स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों, मुख्य रूप से महिलाओं को लघु ऋण उपलब्ध कराना है तथा इसके साथ ही साथ बैंकिंग गतिविधियों के साथ जोड़कर बचत तथा महिलाओं में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त इसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं में समानता तथा सम्बद्धता को विकसित करना,आत्मविश्वास को बढ़ाना, आत्मनिर्भरता को बढ़ाना तथउन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना है ,जिससे कि वे व्यक्तिगत स्तर पर सशक्त होने के साथ-साथ सामूहिक स्तर पर भी सशक्त हो सकें और अपने अधिकारों के लिए सामने आ सकें।

12. तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम: - महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य आयफ्रेड (इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, परियोजना) रोम की सहायता से प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है। योजना के अंतर्गत स्व-सहायता समूह का गठन कर उनके सशक्तिकरण का कार्य किया जा रहा है।

13. कौशल उन्नयन योजना:- आय उपार्जन से जुड़े महिला स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल वृद्धि कर अधिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से निगम द्वारा कौशल उन्नयन योजना संचालित है।

14. स्टेप योजना:- महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने हेतु कृषि, पशुपालन, डेयरी, मछली पालन, हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी तथा ग्रामोद्योग, रेशम आदि व्यवसाय व्यवसाय में महिलाओं को प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। इसमें महिला हितग्राही को परियोजना प्रस्ताव हेतु प्रति महिला 16000 रुपये का अनुदान दिया जाता है।

15. 24 घंटे काम करने का अधिकार: - "इंदौर सहित प्रदेश भर में जल्दी ही महिलाओं को 24 घंटे काम करने का अधिकार मिलने जा रहा है। श्रम विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर भेज दिया है।जो प्रस्ताव भेजा गया है, उसमे महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कुछ नियम भी बनाए गए हैं। उनका पालन करने के साथ ही इस संबंध मे संस्थाओं औंर फेक्ट्रियो को अनुमति मिलेगी। अब तक प्रदेश में कारखानों और आईटी सेक्टर में ही महिलाओं को रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक काम करने की मंजूरी थी।"9

केरल सरकार द्वारा अभिनव पहल:-

महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत केरल सरकार ने कोझिकोड जिले में जेंडर पार्क बनाने की योजना बनाई है, जहां महिलाओं के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

जेंडर पार्क में महिलाओं के लिए रिसर्च प्रोग्राम, जागरुकता शिविर, सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे आयोजन किए जाएंगे, जिनमें पुरुषों की सहायता के बिना महिलाएं आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ेंगी।

राज्य के वित्त विभाग के अधिकारी के अनुसार इसमें 100 महिलाओं के रुकने की व्यवस्था वाला गेस्ट हाउस भी होगा, जिससे बड़े कार्यक्रम आयोजित करने में कोई परेशानी न हो।

इस पार्क को थानटेडोम नाम दिया गया है, जिसका अर्थ 'साहस' होता है. इस पार्क में लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर होंगे, जहां महिलाएं विभिन्न विषयों पर आधारित शोध कर सकती हैं। इस पार्क में गैर सरकारी संस्थाएं भी सहयोग करेंगी।10

भारत एक लोकतंत्रात्मक देश हैं,अतः समाज की आधी आबादी को समान रूप से अधिकार संपन्न होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास के लक्ष्यों में से लिंग असमानता को दूर कर महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करने हेतु निर्धारित किया है। यद्यदि आजादी के बाद किए गए तमाम प्रयासों से महिलाएं पहले की तुलना में अधिक अधिकार संपन्न हुई है और विविध क्षेत्रों में अपनी सहभागिता भी दर्ज करा रही है। नेतृत्व, व्यवसाय, खेलकूद, सेना स्वास्थ्य तथा रोजगार के अन्य विविध क्षेत्र सभी में महिलाओं को अवसर प्राप्त हुए हैं।अब महिला सशक्तिकरण की रणनीतिक पहल के सभी प्रयासों से भारत में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। 73 वाँ और 74 वाँ संविधान संशोधन से महिलाओं की ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय स्वशासन में भागीदारी सुनिश्चित हुई है। आज देश में तकरीबन 12 लाख से अधिक महिलाएं जनप्रतिनिधित्व कर रही हैं। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं की वृद्धि से महिलाओं में निश्चित ही तरक्की की है। लेकिन इन सबके बावजूद दूसरा पहलू यह है कि महिला सशक्तिकरण के व्यास आज भी हकीकत की धुंधली छवि स्पष्ट कर रहे हैं।सन् 2011 की जनगणना रिपोर्ट में यद्यपि लिंगानुपात में वृद्धि हुई है।सन् 2001 में1000 पुरुष पर 933 महिलाएं थी जो कि 2011 मे 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, लेकिन चिंताजनक पहलू यह है कि 0 से 6 वर्ष की आयु में लिंग अनुपात प्रति 1000 बालकों पर 919 बालिकाएं हैं। विभिन्न शोध निष्कर्षों से ज्ञात होता है कि प्रतिवर्ष भारत में लगभग 16 लाख भ्रूण हत्याएँ की जाती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में प्रत्येक बाइसवें मिनट में एक बलात्कार,प्रत्येक पांचवें मिनट में एक महिला घरेलू हिंसा की शिकार होती है और कम से कम 22 महिलाएं दहेज के लिए प्रति दिन मार दी जाती है।

यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 19 प्रतिशत लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से कम आयु में कर दिया जाता है। शिक्षा में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार मात्र 65.46 प्रतिशत महिलाएं ही साक्षर है। देश में तीन में से लगभग दो महिलाएं अपने जीवन के कामकाजी समय का सबसे बड़ा हिस्सा अवैतनिक घरेलू कामकाज में लगा देती है।

निष्कर्ष:- उपर्युक्त अधिनियम, कानून एवं योजनाओं के माध्यम से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि सरकार महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए हर तरह के प्रयास काफी लंबे समय से करती आ रही है और यही कारण है कि आज समाज में महिलाओं की भूमिका में बहुत तरह के बदलाव भी दिखाई देने लगे हैं। आज शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहांॅ पर महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज न करायी हो। यह उम्मीद भी की जाती है कि आगे आने वाले समय में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जेंडर पार्क, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, सबला योजना इत्यादि के सकारात्मक परिणाम सभी के सामने आएंगे। इसके अतिरिक्त आज की आधुनिक महिलाएं भी बहुत से कार्य करने में सक्षम है तथा गृह प्रबंधन से लेकर सशस्त्र बलों में सेवा करने या व्यवसायिक महिला के रूप में प्रबंधन के क्षेत्रों में, प्रबंधन के क्षेत्रों में,

स्वयं को श्रेष्ठ साबित कर रही हैं। इसका उदाहरण स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, मदर टेरेसा, श्रीमति द्रौपदी मुर्मू, किरण मजूमदार शाँ, इंदिरा नूई, वंदना लूथरा, नैना लाल किदवई, सुचि मुखर्जी इत्यादि महिलाओं ने शीर्ष स्थान हासिल किया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची: -

1. मानवता व आध्यात्मिकता के माध्यम से ज्ञान पृष्ठ 218
2. डॉ. माधवी लता दुबे, समाजशास्त्रीय निबंध संस्करण द्वितीय(संशोधित, परिवर्द्धित)पृष्ठ 2
3. दैनिक भास्कर ई पेपर ग्वालियर 24 फरवरी 2022 पृष्ठ 1
4. नव भारत टाईम्स ई पेपर, 01 जनवरी 2022
5. नव भारत टाईम्स ई पेपर, 16 सितंबर 2021
6. भारत का संविधान-एक परिचय डी.डी.बसु सातवाँ संस्करण पुनः मुद्रण
7. कुरुक्षेत्र मई 2020, पृष्ठ 18
8. डॉ. विमल अग्रवाल, समाजशास्त्र,संस्करण 2019 पृष्ठ 104
9. दैनिक भास्कर ई पेपर इंदौर,22 फरवरी 2022 पृष्ठ j2
10. wcd.kerla.gov.in